भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 855

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

एमएसएमई के लिए डीएक्स-एज(ईडीजीई) प्लेटफॉर्म

855 श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एमएसएमई को बड़ी कंपनियों में विस्तार करने और उनकी महत्वाकांक्षाओं को दबाने से रोकने वाले नियमों को हटाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी बाधा प्रौद्योगिकी को अपनाना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस मुददे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं

(ङ) क्या डिजिटल एक्सीलेंस या डीएक्स-एज एमएमएमई को विकास के लिए उपकरण और ज्ञान से लैस करने का एक मंच है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार, प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के रूपांतरण को बढ़ावा देने और उनके विस्तार में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बजट उद्घोषणा 2025 में एमएसएमई की संशोधित परिभाषा की घोषणा की थी तथा सभी प्रकार के एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमश: 2.5 और 2 गुणा बढ़ा दिया गया है। यह संशोधन एमएसएमई को अपने कारोबार को व्यापक स्तर पर बढ़ाने, पूंजी तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र के लिए एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) का कार्यान्वयन करता है तथा इस स्कीम का उद्देश्य विभिन्न लीन उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करके एमएसएमई की घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
- एमएसएमई मंत्रालय ने सामान्य अभियांत्रिकी, ऑटोमेशन हैंड टूल्स, प्लास्टिक्स, ऑटो पार्टस, इलेक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक्स, फोर्जिंग और फोन्ड्री आदि जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई को प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के साथ सहयोग प्रदान करने के लिए 27 प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थापना की है।

(ङ) : डीएक्स-ऐज एमएसएमई द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा नीति फ्रंटियर टेक हब (एनआईटीआई एफटीएच) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग के साथ शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है।

(च) और (छ) : एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करने, प्रतिस्पर्धी और हर परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने हेतु कई कदम उठा रहा है। एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 20.12.2023 को एमएसई हरित निवेश और रूपांतरण हेतु वित्तपोषण (एमएसई-गिफ्ट) तथा सर्कुलर अर्थव्यवस्था का संवर्धन और उसमें निवेश (एमएसई-स्पाईस) स्कीमों की शुरुआत की है।

एमएसई-गिफ्ट स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई का विकास और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करते हुए एमएसई को रियायती दर पर संस्थागत वित्त प्रदान करना है ताकि पर्यावरण के लिए स्थायी परियोजनाओं को अपनाने हेतु पर्याप्त तकनीकी हैंडहोल्डिंग सहायता के साथ क्लीन/ग्रीन प्रौद्योगिकियों की बढ़ी हुई लागत को न्यूनतम किया जा सके या उन्हें कम किया जा सके।

एमएसई-स्पाईस का प्राथमिक लक्ष्य संसाधनों की कार्यकुशलता को बेहतर बनाना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना तथा एमएसई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

****